

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 154 Cr.P.C.)  
(प्रथम सूचना रिपोर्ट )  
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0105 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 31/05/2024 15:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): बुधवार Date From (दिनांक से): 29/05/2024 Date To (दिनांक तक): 29/05/2024  
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:10 बजे Time To (समय तक): 21:37 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 31/05/2024 Time (समय): 14:15 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 31/05/2024 15:24:05 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 6.1 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): NATIONAL HANDLOOM KE SAMNE, PRTAPNAGAR, JODHPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य) ):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): TARACHAND

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAMKUMAR

(c) Date/Year of Birth  
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1979

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PLOT NO. 71/72, RK NAGAR BIDLA SCHOOL KE SAMNE, JODHPUR, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PLOT NO. 71/72, RK NAGAR BIDLA SCHOOL KE SAMNE, JODHPUR, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number  
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9352356421

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NAVEEN DATT		पिता:NARAYAN DATT	1. SHERE RAJSTHAN COLONY, PRTAPNAGAR, JODHPUR, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		60,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 60,000.00  
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर (राज.) विषय:- रिश्वत लेते हुए रंगो हाथो पकड़वाने बाबत। महोदयजी निवेदन है कि मैं ताराचन्द पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी प्लाट न. 71, 72 आर.के. नगर बिड़ला स्कूल के सामने झँवर रोड जोधपुर का मूल निवासी हू। मेरे खिलाफ दिनांक 18.5.2024 को थाना सरदारपुरा में मुकदमा सं. 132/24 दर्ज हुआ व मेरे एक महिला कर्मचारी अर्चना लावा ने दिनांक 20.05.2024 को थाना सरदारपुरा में डॉ. दुष्यन्त अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा संख्या 135/24 दर्ज करवाया इन दोनो प्रकरणों की जाच वर्तमान में सहायक पुलिस आयुक्त वृत्त पश्चिम श्रीमती छवि शर्मा कर रही है। श्रीमती छवि शर्मा । श्रीमती मैडम का नवीन दत्त दलाल के रूप में कार्य कर रहा है। दिनांक 19.05.2024 को दिन में मेरी नवीन जी से मोबाईल पर वार्ता हुई। श्री नवीन दत्त जी नं मुझे बताया कि मेरी ।एसीपी मैडम छवि शर्मा से अच्छी जान पहचान है। मै आपके खिलाफ दर्ज मुकदमें एवं आपको धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। आपके महिला कर्मचारी द्वारा दर्ज मुकदमें में कार्यवाही करवा दूंगा। इन सभी कामों के लिए एसीपी मैडम छवि शर्मा के लिए आपको एक लाख रूपयें (100000) देने होंगे। मै मेरे जायज काम के लिए दलाल नवीन दत्त को एक लाख रूपयें नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगो हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी दलाल नवीन दत्त से न कोई पुरानी रंजिश है और न ही कोई पुराना लेन देन बाकी है। कृपया करके मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावे। दिनांक 29.05.2024 भवदीय एसडी ताराचन्द एसडी विजय सिंह एसडी ईमरतलाल देवडा ताराचन्द पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी प्लाट नम्बर 71, 72 आर.के.नगर बिड़ला स्कूल के सामने झँवर रोड जोधपुर M- 9352356421 कार्यवाही पुलिस, दिनांक 29.05.2024 समय 11.10 ए.एम. इस समय परिवादी श्री ताराचन्द पुत्र श्री रामकुमार नें उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट कार्यालय में उपस्थित होकर मय एफ.आई.आर. संख्या 132/24 व 135/24 थाना सरदारपुरा मय स्वयं के आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की। मजमून रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। एसडी (चक्रवर्ती सिंह राठौड़) कार्यवाही पुलिस दिनांक 29.05.2024 समय 11.10 ए.एम. इस समय परिवादी श्री ताराचन्द पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी प्लाट न. 71, 72 R K नगर बिड़ला स्कूल के सामने झँवर रोड जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित होकर एक हस्त लिखित रिपोर्ट मन् चक्रवर्ती सिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि “निवेदन है कि मैं ताराचन्द पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी प्लाट न. 71, 72 R. K. नगर बिड़ला स्कूल के सामने झँवर रोड जोधपुर का मूल निवासी हू। मेरे खिलाफ दिनांक 18.5.2024 को थाना सरदारपुरा में मुकदमा सं. 132 दर्ज हुआ व मेरे एक कर्मचारी अर्चना लावा ने दिनांक 20.05.2024 को थाना सरदारपुरा में डॉ. दुष्यन्त अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा संख्या 135 दर्ज करवाया इन दोनो प्रकरणों की जाच वर्तमान में सहायक पुलिस आयुक्त वृत्त पश्चिम छवि शर्मा है। दिनांक 19.5.2024 को दिन में नवीन जी से मेरी मोबाइल पर बात हुई उन्होने मुझे बताया कि मेरी श्रीमती मैडम छवि शर्मा से जान पहचान है मैं आपके खिलाफ दर्ज मुकदमें एवम् मैं आपको धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार नहीं करने दूंगा एवं आपके कर्मचारी द्वारा दर्ज मुकदमें में कार्यवाही करवा दूंगा इन सभी कार्यों की एवज में मैडम छवि शर्मा के नाम से 100000 (अक्षरे एक लाख रूपये) की मांग कर रहा है। कि उक्त धन राशि मैडम छवि शर्मा को देनी होगी। मै मेरे जायज काम के लिए दलाल नवीन को एक लाख रूपये नहीं देना चाहता हू। बल्की रिश्वत लेते हुए रंगो हाथो पकड़वाना चाहता हूँ मेरी दलाल नवीन से न तो कोई पुरानी रंजिश है न ही कोई पुराना लेन देन बाकी है कृपया कर कानूनी कार्यवाही करावे“ मजीद दरियाफती पर परिवादी ने बताया कि उक्त हस्त लिखित रिपोर्ट मैंने लिखी है तथा उक्त रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया। हस्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफती से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का होना पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय के श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 को कार्यालय कक्ष में तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री ताराचन्द से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नम्बर एक दुसरे को आदान प्रदान कराये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वायस रिकार्डर निकाल कर उसको चालु करने, बन्द करने की प्रक्रिया परिवादी श्री ताराचन्द को समझायी गई। वक्त 11.45 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध श्री नवीन का जोधपुर में होने का ज्ञात करने हेतु परिवादी श्री ताराचन्द के मोबाईल नं.

9352356421 से संदिग्ध श्री नवीन के मोबाईल नं. 9828512290 पर परिवारी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई तो संदिग्ध श्री नवीन ने बताया कि आप सरस डेयरी हड्डी मील के पास आ जाओ वहां पर मिल कर बात करते है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर आवश्यक हिदायत के साथ श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 को सुपर्द कर परिवारी श्री ताराचन्द के साथ सरस डेयरी हड्डी मील जाने हेतु परिवारी का स्वयं का निजी वाहन से एवं श्री भूरसिंह हैड कानि. को स्वयं की निजी मोटर साईकिल से रवाना किया। वक्त 05.00 पी.एम. पर श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 23 व श्री परिवारी श्री ताराचन्द रिश्वत राशि मांग सत्यापन में गये हुए कार्यालय में उपस्थित आये तथा श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 नें स्वीच ऑफ शुदा कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपर्द कर बताया कि परिवारी श्री ताराचन्द एवं संदिग्ध श्री नवीन के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता हो गई जो इस कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड है साथ ही परिवारी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व श्री भूरसिंह हैड कानि. ब्यूरो चैकी से रवाना होकर मैं मेरी गाड़ी स्कार्पियों से एवं श्री भूरसिंह अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर सरस डेयरी हड्डी मील थोड़ा पहले पहुंचे। जहां पर श्री भूरसिंह हैड कानि. ने मुझे आवश्यक हिदायत देकर अपने साथ लाये डिजीटल वायस रिकार्डर स्वीच ऑन कर मुझे सुपर्द कर श्री नवीन से वार्ता करने हेतु मेरी गाड़ी स्कार्पियों से रवाना किया। मैं वहां से रवाना होकर सरस डेयरी के पास पहुंचा जहां पर श्री नवीन अपने वाहन में बैठा उपस्थित मिला। श्री नवीन मेरे कार्य के सम्बन्ध में बात हुई तो दौराने वार्ता श्री नवीन ने कहा कि कमिशनर साहब आपसे नाराज है और छवि मैडम कमिश्नर साहब के कहने से आपकी चाबी कस रही है। मेरी एसीपी छवि शर्मा से अभी 10-15 मिनट तक बात हुई है। पहले मैं आपको मैडम के पास ले जाऊंगा और आपको बाहर खडा कर दूंगा। मैडम से कहूंगा कि मैं दोनों तरफ से राजीनामा के लिए कह दिया है। इस एवज में जैसा कि अपने पहले बातचीत हो चुकी है मैंने आपको फोन पर बता दिया था ना जब मैंने कहा कि एक करना है तो उसने हां कहा। साथ ही कहा कि मैडम से एक बार जाकर बात करता हूं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वायस टेप रिकार्डर को ऑन कर परिवारी श्री ताराचन्द व आरोपी श्री नवीन दत्त के बीच हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया। वार्ता को सुनने से परिवारी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। परिवारी की लिखित रिपोर्ट व रिश्वति राशि मांग सत्यापन रिकार्ड वार्ता से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का होने से आज ही परिवारी के प्रार्थना पत्र पर ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। वक्त 06.04 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर दो स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु एक पत्र श्रीमान तहसीलदार जोधपुर के नाम जारी कर पत्र जरिये वाटसअप तहसीलदार जोधपुर को प्रेषित किया गया। उक्त ट्रेप कार्यवाही में मौके पर अन्य मुख्य आरोपी श्रीमति छवि शर्मा सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम के भी मौके पर लेन देन वार्ता हो जाने की संभावना को देखते हुए उक्त ट्रेप कार्यवाही में श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर निर्देशित किया गया। परिवारी श्री ताराचन्द से मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस का परिचय करवाया गया। परिवारी श्री ताराचन्द, परिवारी के प्रार्थना पत्र की पत्रावली व डिजीटल वायस टेप रिकार्डर श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को सुपर्द किया गया। वक्त 06.45 पी.एम. पर श्रीमान तहसीलदार जोधपुर से दो कार्मिक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये जिनसे मन् निरीक्षक पुलिस से सम्पर्क किया। उपस्थित आये कार्मिकों से मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो कार्मिको को अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने बारी-बारी से अपना परिचय श्री ईमरत लाल देवडा पुत्र श्री खरताराम देवडा जाति माली उम्र 48 साल पेशा नौकरी निवासी प्लाट नम्बर 23, गोपीकिशन नगर मण्डोर लिंक रोड जोधपुर हाल भू अभिलेख निरीक्षक मण्डोर तहसील जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9413847027 तथा श्री विजय सिंह पुत्र श्री मदन सिंह जाति राजपूत उम्र 36 साल पेशा नौकरी निवासी ग्राम मालासर तहसील बिदासर जिला चुरू हाल पटवार मण्डल जोधपुर उत्तर तहसील जोधपुर जिला जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9929557100 के रूप में दिया। दोनो उपस्थित कार्मिकों एवं उपस्थित परिवारी ताराचन्द का आपस में परस्पर परिचय करवाकर दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर परिवारी ताराचन्द द्वारा आज दिनांक 29.05.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया एवं श्री परिवारी ताराचन्द व आरोपी श्री नवीन के मध्य आज दिनांक 29.05.2024 को हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड है के मुख्य-मुख्य मांग अंश का सुनाया गया। दोनो कार्मिकों द्वारा परिवारी की रिपोर्ट पढकर परिवारी से तसली से पुछताछ कर एवं रिश्वति राशि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुनकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी तथा परिवारी श्री ताराचन्द द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वायस रिकार्डर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवारी व आरोपी की मोबाईल पर वार्ता करवाई गई। जिससे ब्यूरो के डिजीटल वायस टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। वक्त 07.00 पी.एम. पर दोनों गवाहान के रू-ब-रू परिवारी श्री ताराचन्द पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट उम्र 45 साल पेशा व्यवसाय निवासी प्ला0ट नम्बर 71, 72 आर के नगर बिडला स्कूल के सामने झंवर रोड जोधपुर मोबाईल नम्बर 9352356421 द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा

कहा गया जिस पर परिवादी श्री ताराचन्द ने भारतीय मुद्रा के पाँच सौ रूपयें के 120 नोट कुल राशी 60,000 रूपये पेश किये। श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आये तथा उक्त 60000 रूपये के नोटों पर श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक से अखबार के उपर रखकर नोटों पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री ताराचन्द की जामा तलाषी गवाह श्री ईमरत लाल देवडा से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 9352356421 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशी नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 60000 रूपये जो श्री नवीन प्राईवेट व्यक्ति (मध्यस्थ) को दी जानी है, की राशी के नोटों को परिवादी ताराचन्द के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की बांयी जेब में श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री ताराचन्द को हिदायत दी गई कि इस रिश्वति राशी को रास्ते में नहीं छुए एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वति राशी निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9530292476 पर रिश्वति राशी आदान-प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वति राशी के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाले श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाले श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वति राशी लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। फर्द पेशकसी मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 08.30 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्रीमति सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस, श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री ईमरत लाल देवडा व श्री विजय सिंह, ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29, श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91, श्री गणेश राम वरिष्ठ सहायक, श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक, श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46, मय कार्यालय का डिजीटल वायस टेप रिकार्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली ट्रेप बाक्स, लेपटाप-प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के सरकारी वाहन टवेरा मय श्री प्रेमसिंह कानि. चालक एवं परिवादी श्री ताराचन्द व उसके निजी वाहन स्कार्पियों एम हाक आरजे 19 यूए 0933 के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर से बारहवी रोड के लिए रवाना हुए। वक्त 10.25 पी.एम. पर हालात इस प्रकार से है कि वक्त 08.30 पीएम पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्रीमति सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस, श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री ईमरत लाल देवडा व श्री विजय सिंह, ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29, श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91, श्री गणेश राम वरिष्ठ सहायक, श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक, श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46, मय कार्यालय का डिजीटल वायस टेप रिकार्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बाक्स, लेपटाप-प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के सरकारी वाहन टवेरा मय श्री प्रेमसिंह कानि. चालक एवं परिवादी श्री ताराचन्द व उसके निजी वाहन स्कार्पियों एम हाक आरजे 19 यूए 0933 के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर से रवाना होकर वक्त 08.50 पी.एम. पर शास्त्रीनगर थाने के पास पहुंचकर परिवादी श्री ताराचन्द के मोबाईल से आरोपी श्री नवीन कुमार के मोबाईल पर काल स्पीकर ऑन करवाकर ब्यूरो के डिजीटल वायस टेप रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया तो उनके द्वारा प्रतापनगर नेशनल हैण्डलूम के पास मिलना बताया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के शास्त्रीनगर से प्रतापनगर बस स्टैण्ड के पास नेशनल हैण्डलूम पहुंचे। वक्त 09.10 पी.एम. पर श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91 से कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर आन करवाकर परिवादी श्री ताराचन्द को सुपुर्द कर परिवादी को अपने वाहन स्कार्पियों एम हाक में ही छोड़ा गया और मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता नेशनल हैण्डलूम के आसपास ही गोपनीय रूप से रिश्वत राशि लेन देन के इन्तजार में मुकीम हुए। वक्त 09.37 पी.एम. पर परिवादी श्री ताराचन्द ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल नम्बर 9352356421 से श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91 के मोबाईल नम्बर 9460051492 पर कॉल कर रिश्वत राशि लेन-देन होना व अपने वाहन के इण्डीकेटर चालू करके सूचना दी। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायन के लेन-देन स्थान नेशनल हैण्डलूम के सामने प्रतापनगर पर परिवादी के वाहन के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी के निजी वाहन में एक अन्य व्यक्ति आगे की सीठ पर बैठा हुआ मिला। परिवादी श्री ताराचन्द से डिजीटल वायस रिकार्डर श्री भूरसिंह

हैड कानि. से स्वीच ऑफ करवा कर मन् निरीक्षक पुलिस नें अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में प्राप्त किया और आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। परिवादी ने मौके पर मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि "श्री नवीन नें मेरे से 60,000 रूपयें प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब में रखे है।" जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री ताराचन्द के निजी वाहन में आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को अपना एवं हमरायन का परिचय देते हुए मन्तव्य से अवगत करवाकर उसका परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना परिचय श्री नवीन दत्त पुत्र श्री नारायण दत्त जाति दमामी उम्र 45 साल निवासी शेरे राजस्थान कालोनी, पुलिस चौकी रोड, प्रतापनगर जोधपुर हाल प्राईवेट व्यक्ति (मध्यस्थ) होना बताया। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री नवीन प्राईवेट व्यक्ति के दोनों हाथ ब्यूरो जाब्ता से पकड़वाये गये तथा श्री नवीन को परिवादी से 60,000 रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि परिवादी श्री ताराचन्द ने मुझे अभी 60,000 रूपये दिये थे जिससे मैंने अपने पहनी हुई जीन्स पेन्ट की बायी जेब में रख दिये है। इसके बाद घटना स्थल नेशनल हैण्डलूम के बाहर मुख्य प्रतापनगर रोड पर होने व भीडभाड होने व ब्यूरो कार्यवाही के लिए बैठने ईत्यादि के लिए व्यवस्था नही होने पर अग्रिम कार्यवाही एसीबी चौकी जोधपुर में किया जाने का निर्णय लिया गया। जिस पर आरोपी श्री नवीन को सरकारी वाहन टवेरा में बिठाकर व परिवादी के निजी वाहन सहित मय परिवादी के नेशनल हैण्डलूम प्रतापनगर से एसीबी चौकी जोधपुर के लिए रवाना हुए तथा आरोपी श्री नवीन अपने निजी वाहन से नेशनल हैण्डलूम आया था। जिस पर उसके वाहन के र्टा आरजे 07 सीसी 2307 की चाबी लेकर उसके वाहन को भी ब्यूरो स्टाफ की मदद से ब्यूरो चौकी जोधपुर के लिए लेकर रवाना हुए। समय 10.10 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एसीबी चौकी जोधपुर पहुंचे। एसीबी चौकी जोधपुर में रूबरू गवाहान के आरोपी श्री नवीन दत्त को परिवादी श्री ताराचन्द से रिश्वत राशि किस बाबत प्राप्त की, के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो श्री नवीन दत्त गिडगिडानें लगा और बताया कि साहब मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत आदमी पर विश्वास कर लिया। मेरी छवि शर्मा सहायक पुलिस आयुक्त वृत्त पश्चिम से अच्छी जान पहचान है, मैं इनकी मदद करना चाहता था। मुझे यह पता नही था कि ये आदमी मेरी एसीबी में शिकायत कर देगा। मैंने एक लाख रूपयें रिश्वत राशि की आज ही श्री ताराचन्द से मांग की थी, मेने आज ही श्रीमति छवि शर्मा एसीपी मैडम से फोन पर इसी सम्बन्ध में बात की थी और कल दिन में छवि शर्मा सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम से इसी सिलसिलें में मिलने वाला था। जिस पर सामने खडे परिवादी श्री ताराचन्द नें रूबरू गवाहान व ब्यूरो जाब्ता के बताया कि मेरे खिलाफ दिनांक 18.05.2024 को थाना सरदारपुरा में प्रकरण संख्या 132/2024 डा दुष्यन्त अग्रवाल नें दर्ज करवाया था। मेरे एक महिला कर्मचारी अर्चना लावा नें दिनांक 20.05.2024 को प्रकरण संख्या 135/2024 डा दुष्यन्त अग्रवाल के खिलाफ दर्ज करवाया गया था। उक्त दोनों प्रकरणों की जांच श्री छवि शर्मा सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम द्वारा की जा रही है। दिनांक 19.05.2024 को मेरी दिन में श्री नवीन जी से मोबाईल पर बात हुई तो उन्होनें बताया कि मेरी एसीपी मैडम छवि शर्मा से जान पहचान है मैं आपके खिलाफ दर्ज मुकदमें एवं आपको 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार नही होने दूंगा। आपके कर्मचारी द्वारा दर्ज मुकदमें में भी कार्यवाही करवा दूंगा। श्री छवि शर्मा एसीपी मैडम के लिए ही मेरे से नवीन दत्त नें रिश्वत राशि एक लाख रूपयें की मांग कर आज 60,000 रूपयें लेते हुए आपके द्वारा रंगे हाथों पकडा है। इसके बाद आरोपी श्री नवीन दत्त निरुत्तर रहा व अपनी गलती होना स्वीकार किया गया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें श्री नवीन दत्त से श्रीमति छवि शर्मा एसीपी मैडम से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में फोन पर बात करने के लिए कहा तो उन्होनें बात करने से मना कर दिया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी ताराचन्द एवं ब्यूरो जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री नवीन कुमार के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बाक्स में से दो प्लास्टिक के डिस्पोजल साफ गिलास निकाल कर उक्त गिलासों में कार्यालय एसीबी चौकी जोधपुर में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त प्लास्टिक डिस्पोजल की दो गिलासों को आधा-आधा भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊंडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे सम्बंधितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री नवीन कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सम्बंधितगण ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 एवं आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री नवीन कुमार के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सम्बंधितगण ने रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री विजय सिंह से आरोपी श्री नवीन दत्त की जामा तलाशी लिरवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की बायी जेब में 500-500 रूपयें की रिश्वत राशि एक गड्डी में होना पाई गई। जिस पर रिश्वत राशि श्री विजय सिंह को सुपर्द कर स्वतंत्र गवाह श्री ईमरत लाल देवडा को फर्द पेशकशी सुपर्द कर पुनः मिलान करवाने पर फर्द पेशकशी के अनुसार राशि 60,000 रूपये फर्द के मुताबिक होना पाई गई, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं:- 1- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 WB 018362 2- 500

रूपये का एक नोट नम्बर 7 BV 065192 3- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 HN 544257 4- 500 रूपये का एक नोट  
 नम्बर 5 WP 196432 5- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 NB 935026 6- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 FV  
 524069 7- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 HV 274781 8- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 QK 112800 9-  
 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 VE 963707 10- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 KB 744165 11- 500 रूपये का  
 एक नोट नम्बर 1 DA 137251 12- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 ED 194207 13- 500 रूपये का एक नोट नम्बर  
 1 QQ 368692 14- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 AN 831858 15- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 CP  
 483287 16- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 SG 154894 17- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 MF 448852 18-  
 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 SV 069077 19- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 UV 450075 20- 500 रूपये का  
 एक नोट नम्बर 3 DV 930263 21- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 CN 708720 22- 500 रूपये का एक नोट नम्बर  
 9 EB 959018 23- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 ER 003135 24- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 PU  
 632770 25- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 HW 726343 26- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 HR 335789 27-  
 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 GV 233740 28- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 PQ 664471 29- 500 रूपये का  
 एक नोट नम्बर 7 LA 039670 30- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 WR 762538 31- 500 रूपये का एक नोट नम्बर  
 1 CL 727712 32- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 NB 754378 33- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 BC  
 469686 34- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 NF 506419 35- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 KK 762383 36-  
 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 MM 117328 37- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 TW 990780 38- 500 रूपये  
 का एक नोट नम्बर 2 RG 986388 39- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 LW 707897 40- 500 रूपये का एक नोट  
 नम्बर 0 FB 256497 41- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 EV 916252 42- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 HA  
 820600 43- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 VR 092710 44- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 WN 696592 45-  
 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 HD 632077 46- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 DF 876341 47- 500 रूपये का  
 एक नोट नम्बर 6 ES 360728 48- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 CB 649566 49- 500 रूपये का एक नोट नम्बर  
 1 HA 918843 50- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 FU 868943 51- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 VC  
 623260 52- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 QL 408316 53- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 PM 367110 54-  
 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 MU 463209 55- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 VC 678430 56- 500 रूपये का  
 एक नोट नम्बर 2 RW 685209 57- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 VH 061651 58- 500 रूपये का एक नोट  
 नम्बर 5 WP 022408 59- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 FC 773138 60- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 DW  
 658189 61- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 AH 687687 62- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 GR 447751 63-  
 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 LA 581609 64- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 VD 050066 65- 500 रूपये का  
 एक नोट नम्बर 1 UA 195890 66- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 UG 417014 67- 500 रूपये का एक नोट नम्बर  
 7 DH 084840 68- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 HD 091315 69- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 UG  
 999509 70- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 GF 822077 71- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 FP 773981 72-  
 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 LM 226330 73- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 GP 748599 74- 500 रूपये का  
 एक नोट नम्बर 5 SS 960675 75- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 CL 911093 76- 500 रूपये का एक नोट नम्बर  
 0 BD 752737 77- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 FS 151999 78- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 LD  
 222241 79- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 BE 401196 80- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 AG 240131 81-  
 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 FF 428734 82- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 BK 284238 83- 500 रूपये का  
 एक नोट नम्बर 0 FV 580390 84- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 DG 072420 85- 500 रूपये का एक नोट नम्बर  
 1 AF 823084 86- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 TB 242509 87- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 AB  
 202404 88- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 HQ 624591 89- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 CQ 744924 90-  
 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 KT 231091 91- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 MB 573860 92- 500 रूपये का  
 एक नोट नम्बर 6 AM 520769 93- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 GG 693562 94- 500 रूपये का एक नोट  
 नम्बर 4 PC 976904 95- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 GP 636562 96- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 PK  
 017987 97- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 SU 666836 98- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 KA 694420 99-  
 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 AU 534516 100- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 WS 872724 101- 500 रूपये  
 का एक नोट नम्बर 7 SU 752171 102- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 TB 816521 103- 500 रूपये का एक नोट  
 नम्बर 1 WQ 830651 104- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 BD 242166 105- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2  
 UK 614297 106- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 VA 712384 107- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 DP  
 810488 108- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 KF 215151 109- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 VW 293901

110- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 RP 943285 111- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 QB 012612 112- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 ER 319999 113- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 RQ 775304 114- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 DC 304478 115- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 GF 587221 116- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 AC 041268 117- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 GQ 030809 118- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 GH 316677 119- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 FS 133175 120- 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 DF 864925 उक्त भारतीय मुद्रा 60,000 रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर, चिट पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री नवीन कुमार द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 60,000 रूपये प्राप्त कर गिनकर उक्त रिश्वत राशि अपने पहनी हुई जीन्स पेन्ट की बांयी जेब में रखे गये थे, जिससे आरोपी के उक्त जीन्स पेन्ट की बायीं जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री नवीन कुमार के पहनी हुई जीन्स पेन्ट को उतरवाकर तथा एक अन्य पेन्ट की व्यवस्था कर आरोपी श्री नवीन कुमार को पहनवायी गई। उक्त जीन्स पेन्ट की बांयी जेब के धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बाक्स में से प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास निकाल कर उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल की गिलास में कार्यालय में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त कांच की गिलास को आधा भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊंडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे सम्बंधितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री नवीन कुमार के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की बायीं जेब को उलटकर डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सम्बंधितगण ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशियों पर मार्क पी-1 एवं पी-2 अंकित किया गया। आरोपी के उक्त जीन्स पेन्ट की बायीं जेब जहां परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर रखी गई थी एवं उक्त जीन्स पेन्ट की बायीं जेब का धोवन लिया गया था उक्त जीन्स पेन्ट की जेब पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर उक्त जीन्स पेन्ट को एक कपड़ों की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित करवाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली पर मार्क-पी अंकित कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात मध्यस्थ श्री नवीन कुमार के हाथ में दो मोबाइल मिले थे। जिसमें से एक सेमसंग कम्पनी का टचस्क्रीन मोबाइल जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 353835883844450/01, एवं 2. 353901653844458/01 जिसमें वोडाफोन कम्पनी की सिम जिसके नम्बर 9828512290 होना पाई गई तथा वीवों कम्पनी का एक टच स्क्रीन मोबाइल जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 861975056423452, 2.861975056423445 जिसमें जीयों कम्पनी की सिम जिसके नम्बर 8078666536 होना पाई गई। उक्त दोनों मोबाइल फोन मय सिम के कार्यवाही में वांछित होने के कारण कब्जा ब्यूरो लिया गया। एसीबी चौकी जोधपुर पर आरोपी के बड़े भाई श्री विनोद दत्त उपस्थित आये। जिन्हे आरोपी की क्रेटा गाडी की चाबी सुपर्द की गई। अतः अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री नवीन दत्त पुत्र श्री नारायण दत्त जाति दमामी उम्र 45 साल निवासी शेरे राजस्थान काँलोनी, पुलिस चौकी रोड, प्रतापनगर जोधपुर हाल प्राईवेट व्यक्ति (मध्यस्थ) के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। अतः अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री नवीन दत्त पुत्र श्री नारायण दत्त जाति दमामी उम्र 45 साल निवासी शेरे राजस्थान काँलोनी, पुलिस चौकी रोड, प्रतापनगर जोधपुर हाल प्राईवेट व्यक्ति (मध्यस्थ) को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। दिनांक 30.05.2024 वक्त 01.30 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री नवीन दत्त (प्राईवेट व्यक्ति/मध्यस्थ) पुत्र श्री नारायण दत्त जाति दमामी उम्र 45 साल निवासी राजस्थान शेरे काँलोनी, पुलिस चौकी रोड प्रतापनगर जोधपुर हाल चीफ ब्यूरो जोधपुर न्यूज इण्डिया 24x7 को किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके कहेनुसार मौके पर उपस्थित उसके भाई श्री विनोद दत्त पुत्र श्री नारायण दत्त निवासी प्रभु पार्श्वनाथ नगर मेडतिया गार्डर वाली पाल रोड जोधपुर को दी गई। वक्त 01.50 ए.एम. पर प्रकरण से संबंधित शील्ड सुदा प्रार्दश क्रमशः मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2, रिश्वत राशि बरामदगी स्थल जीन्स पेन्ट का शील्डशुदा पैकेट एवं शील्ड सुदा रिश्वती राशि 60000/-रूपये, आरोपी श्री नवीन के दो मोबाइल फोन सैमसंग व वीवों कम्पनी मय सिम को मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर जिसमें दिनांक 29.05.2024 को आरोपी एवं परिवादी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन देन वार्ता रिकार्ड हैं उक्त रिकार्डर को मन निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा मे रखा। स्वतन्त्र गवाहान श्री ईमरत लाल देवडा व श्री विजय सिंह तथा परिवादी श्री ताराचन्द को को प्रातः 09.30 ए.एम. पर कार्यालय में आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। वक्त 02.00 ए.एम. पर श्री नवीन दत्त का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना उदयमन्दिर की सुरक्षित हवालात में जमा कराने हेतु चिकित्सा प्रभारी, सैटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर के नाम पृथक-पृथक तहरीर लिखकर श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो



जाबता श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29, छैलाराम कानि. नं. 46, मय सरकारी वाहन कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 के राजकीय सैटैलाईट अस्पताल पावटा के लिये आरोपी श्री नवीन दत्त को लेकर रवाना हुआ। वक्त 03.00 ए.एम. पर श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाबता श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 पुलिस, छैलाराम कानि. नं. 46 मय सरकारी वाहन कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 आरोपी श्री रेंवतराम का बाद मेडीकल परीक्षण करवाकर एवं आरोपी को पुलिस थाना उदयमन्दिर में हवालात में जमा करवा कर हाजिर आये। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट व प्राप्ति रसीद शामिल पत्रावली की गई। पुलिस थाना उदयमन्दिर पर निगरानी हेतु श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक की मामूर कर हाजिर आये है। वक्त 09.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहन श्री ईमरत लाल देवडा व श्री विजय सिंह एवं परिवादी श्री ताराचन्द कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। वक्त 09.35 ए.एम. पर परिवादी श्री ताराचन्द एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री ताराचन्द एवं आरोपी श्री नवीन दत्त प्राईवेट व्यक्ति (मध्यस्थ) के मध्य दिनांक 29.05.2024 को हुई रूबरू मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वायस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकार्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजूदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें काँपी कर उक्त रिकार्ड वार्तालापों को रूबरू मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वति राशी मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं में एक आवाज परिवादी श्री ताराचन्द ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री नवीन दत्त की होना बताया। उक्त वार्तालापों की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन डब सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मुल मानते हुए कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त तीनो सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 12.05 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में नक्शा मौका घटना स्थल मूर्तिब करना शेष है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ट्रेप कार्यवाही की पत्रावली व परिवादी श्री ताराचन्द, दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं सरकारी वाहन मय चालक श्री प्रेमसिंह के नेशनल हैण्डलूम प्रतानगर के लिए रवाना हुआ। वक्त 01.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के घटना स्थल से परिवादी व रूबरू गवाहान के नक्शा मौका मूर्तिब कर वापिस एसीबी चौकी जोधपुर आया और नक्शा मौका शामिल रनिंग नोट किया गया। वक्त 01.15 ए.एम. पर परिवादी श्री ताराचन्द एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री ताराचन्द एवं आरोपी श्री नवीन दत्त प्राईवेट व्यक्ति (मध्यस्थ) के मध्य दिनांक 29.05.2024 को हुई रूबरू रिश्वति राशि लेन देन से पूर्व तीन मोबाईल वार्ता एवं वक्त लेन देन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वायस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकार्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजूदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें काँपी कर उक्त रिकार्ड वार्तालापों को रूबरू मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वति राशी मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं में एक आवाज परिवादी श्री ताराचन्द ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री नवीन दत्त की होना बताया। उक्त वार्तालापों की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन डब सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मुल मानते हुए कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त तीनो सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री ताराचन्द की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में दिनांक 29.05.2024 को रिश्वति राशी मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री नवीन दत्त ने परिवादी श्री ताराचन्द के विरुद्ध पुलिस थाना सरदारपुरा में दर्ज अभियोग संख्या 132/2024 में मदद करने एवं 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार नही करने एवं परिवादी के कार डेकोर पर कार्यरत महिला कर्मचारी द्वारा श्री दुष्यन्त अग्रवाल के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में कार्यवाही करवाने की एवज में एक लाख रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना व दिनांक 29.05.2024 को ही 60,000 रूपयें रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार करना, रूबरू गवाहान के रिश्वति राशि आरोपी के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की बांयी जेब से बरामद होना, दोनों हाथों के धोवन का रंग गुलाबी आना, पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब का धोवन गहरा गुलाबी प्राप्त होना ईत्यादि कृत्य जुर्म धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018 ) का जुर्म प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी श्री नवीन दत्त पुत्र श्री नारायण दत्त जाति दमामी उम्र 45 साल निवासी शेर राजस्थान काँलोनी, पुलिस चौकी रोड, प्रतापनगर जोधपुर हाल प्राईवेट व्यक्ति (मध्यस्थ) का कृत्य जुर्म धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में दण्डनीय होने से इनके विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (मनीष वैष्णव) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव पुलिस

निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नवीन दत्त, पुत्र नारायण दत्त, निवासी प्रतापनगर जोधपुर, प्राईवेट व्यक्ति (मध्यस्थ) हाल चीफ ब्यूरो जोधपुर न्यूज इण्डिया 24x7 के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 498 पर अंकित है। (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज., जयपुर क्रमांक 533-35 दिनांक 31.05.2024 प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर। 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज., जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): Paras Soni Rank अपर पुलिस अधीक्षक  
(जाँच अधिकारी का नाम): (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court  
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Randheer Singh

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग )	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग )	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)